03/03/2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
बहस सुनी जा चुकी। विपक्षीगण द्वारा
प्र.प. का खण्डन नहीं किया जाना
एवं जानबूझ कर अनुपस्थित रहना
से प्र.प. में अंकित तथ्यों की
बाबत मिसल की विवादित भूमि
संयुक्त रूप से दर्ज है जिसमें
परिवर्तन, विक्रय, आदि होने से
पक्षकारों में विवाद वृद्धि होना
संभावित होगा। प्रथम दृष्टया प्रकरण
सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति
प्रार्थीगण के पक्ष में जाता है।
अतः आदेश आवेदिका दि० 27/2/2020
से जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
कन्फर्म की जाती है तथा मूल वाद
के अंतिम निस्तारण तक विपक्षीगण
को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
किया जाता है कि मौजा ननावर
की खा.सं. 390 की आ.नं. 975, 990
1002, 1030, 1075 कुल किता-5
कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर एवं खाता
संख्या 391 की आ.नं. 1036, 1172
किता-2 कुल रकबा 1.080 हैक्टेयर
भूमि के संबंधित राजस्व रिकॉर्ड एवं
मौके की यथास्थिति कायम रखकर
उक्त भूमि को किसी भी रूप में
का रहन, बय, बख्शीश हस्तान्तरण
नहीं करे न करावें। निर्णय हुक्म
न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया
गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
जमा रिकार्ड रूम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.03 11:15:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner